पत्रांक–7/अधीक्षण–19–01/2012 20(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 24–4–12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001– निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण विपत्र कोड– N2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹4,55,04,360/– (चार करोड़ पचपन लाख चार हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹4,55,04,360/– (चार करोड़ पचपन लाख चार हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001– निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण विपत्र कोड– N2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

24/4/2012

7. वाहन का ईधन एवं रख–रखाव इकाई में आंवटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय –समय पर निंगत परिपत्रो में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

8. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01. 2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

9. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012.

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 20(7)09 पटना, दिनांक : 24-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित

24/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित अधीक्षण उपशीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना	5800000	2958000	580000	10000	17400	87000	9452400	25000	25000	65000	9900	172000	50000	6000	27500	98328
2	गया	2500000	1275000	250000	0	7500	37500	4070000	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44447
3	पूर्णियाँ	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
4	मुंगेर	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
5	सारण (छपरा)	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
6	तिरहुत (मुजफ्फरपुर)	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
7	कोशी (सहरसा)	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
8	भागलपुर	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
9	दरभंगा	2510000	1280100	251000	0	7530	37650	4086280	25000	25000	60000	9700	172000	50000	5500	27500	44609
	कुल	**25870000**	**13193700**	**2587000**	**10000**	**77610**	**388050**	**42126360**	**225000**	**225000**	**545000**	**87500**	**1548000**	**450000**	**50000**	**247500**	**455043**

(चार करोड़ पचपन लाख चार हजार तीन सौ साठ) रू0 मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	31394000	25870000	5524000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	17267000	13193700	4073300
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	3139000	2587000	552000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	88000	10000	78000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	209000	77610	131390
6	अन्य भत्ता (01–07)	557000	388050	168950
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**52654000**	**42126360**	**10527640**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	450000	0	450000
8	यात्रा व्यय (11–01)	450000	225000	225000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	450000	225000	225000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	1080000	545000	535000
11	दूरभाष (13–03)	162000	87500	74500
12	विद्युत प्रभार (13–04)	3100000	1548000	1552000
13	विधि प्रभार (13–05)	900000	450000	450000
14	वर्दी/ पोषाक (13–06)	100000	50000	50000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	495000	247500	247500
	कुल योगः–	**59841000**	**45504360**	**14336640**

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

20(7)व
24-4-12